77 184

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

(म०प्र०)

RS446-II/16

कुन्दन कुमार पाण्डेय तनय शंकराचार्य पाण्डेय निवासी ग्राम चन्दावल तहसील एवं जिला सिंगरौली (म०प्र०)

..............................निगरानीकर्ता

श्री हिमांशु शुक्ला द्वारा पेश
04-10-16

बनाम

म०प्र० शासन द्वारा तहसीलदार सिंगरौली जिला सिंगरौली (म०प्र०)

..........................गैरनिगरानीकर्ता

4.10.16
कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुध्द विरुध्द तहसीलदार सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.16 प्रकरण कमांक 69/अ–68/15–16 के विरुध्द

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

यह कि निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है किः–

1. यह कि तहसीलदार सिंगरौली द्वारा निगरानीकर्ता को धारा 248 भू0राजस्व संहिता 1959 के अर्न्तगत इस आशय की कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26.10.15 दी गई कि पटवारी हल्का चन्दावल द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है, कि ग्राम चन्दावल स्थित म0प्र0 शासन की भूमि ,खसरा कमांक 179 रकवा 0.22 के अंश रकवा 0.020 पर अवैध रुप से माकान/बाउण्ड्री निर्माण करके अतिकमण कर बेजा कब्जा किया गया है जो संहिता की धारा 248 कि तहत दण्डनीय है।

2. यह कि उपरोक्त नोटिस का विधिवत जवाब निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.01.16 को प्रस्तुत किया गया जिसमे निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त आरोपो को अस्वीकार किया गया तथा यह अभिवचन किया गया कि निगरानीकर्ता की आवादी उसके पुस्तैनी स्वामित्व अथवा अधिपत्य की भूमि खसरा कमांक 180 पर स्थित है। उपरोक्त आवादी से लगभग 50 फिट की दूरी पर उपरोक्त कथित शासकीय भूमि पर 20 मई 1970 के पूर्व से पूजा आराधना के आशय से कच्ची दीवाल से निर्मित मन्दिर नुमा सरंचना निर्मित रही है। जिसमे वर्ष 2000 मे पक्का शिवमदिंर एवं पूजा आराधना की सुविधा के लिये दो कमरो का निर्माण किया गया है। तथा उक्त मन्दिर भी आवेदक की जानकारी के अनुसार उसी के पटटे की भूमि पर निर्मित हैं। आवेदक द्वारा कोई भी बउण्ड्रीबाल का निर्माण नही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक निग.5446–II/2016

कुन्दन कुमार पाण्डेय/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हिमान्शु शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 69/अ–68/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	